राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 01/2015/उदयपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–703/2011/उदयपुर)

मैसर्स आर. सी. कंस्ट्रक्शन, उदयपुर.. .....अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री श्याम बाकोड़िया, अधिकृत प्रतिनिधि .....अप्रार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/11/2016

निर्णय

1. प्रार्थी विभाग द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 703/2011/उदयपुर में एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2014 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है। परिशोधन प्रार्थना–पत्र में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के एक अन्य निर्णय, जो कि अपील संख्या 1771/2013/सिरोही वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही बनाम मैसर्स गांधी ब्रदर्स, सिरोही निर्णय दिनांक 09.09.2014 में दिये गये निर्णय के आधार पर परिशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 26.06.2014 में व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 58 के तहत विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करने के आधार पर जो शास्ति आरोपित की गयी थी वह बिना सुनवाई का अवसर दिये आरोपित किये जाने के आधार पर अपास्त कर दी गयी थी, जबकि माननीय कर बोर्ड की अन्य एकलपीठ के निर्णय गांधी ब्रदर्स सिरोही की अपील संख्या 1771/2013/सिरोही निर्णय दिनांक 09.09.2014 में यह निर्णय किया गया है कि बिना सूचनापत्र के आरोपित शास्ति का आरोपण किये जाने को अपास्त करने को अपीलीय अधिकारी के निर्णय की पुष्टि की थी, परन्तु उसमें पुनः शास्ति आरोपित करने से पूर्व सूचनापत्र जारी करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी। अतः इस निर्णय के आधार पर इस आदेश दिनांक 26.06.2014 में संशोधन कर सूचनापत्र जारी किये जाने का निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.....2

3. अप्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने माननीय एकलपीठ के आदेश का समर्थन करते हुए प्रार्थी राजस्व का संशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं परिशोधन प्रार्थना—पत्र का अवलोकन किया गया।

5. माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 26.06.2014 में व्यवहारी की धारा 58 की शास्ति को पूर्ण विचार एवं विवेचन के साथ अपास्त किया गया है, जिसमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना मुख्य आधार बताया गया था। विभाग की ओर से प्रस्तुत माननीय कर बोर्ड के अन्य निर्णय दिनांक 09.09.2014 के आधार पर यह निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय में परिशोधन किया जाये; यह तर्क उचित नहीं है क्योंकि जिस आदेश को परिशोधन का आधार बनाया गया है, वह आदेश भी माननीय कर बोर्ड की अन्य एकलपीठ का है और उसमें भी धारा 58 की शास्ति को अपास्त किये जाने की पुष्टि की गयी है। केवलमात्र यह टिप्पणी अंकित की गयी है कि कर निर्धारण अधिकारी विवरण प्रपत्रों की प्रस्तुती में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में पुनः सूचनापत्र जारी कर शास्ति आरोपण हेतु स्वतंत्र होंगे। प्रथमतः माननीय कर बोर्ड के आदेश दिनांक 26.06.2014 में किसी भी तरह की रिकॉर्ड पर परिलक्षित भूल नहीं है, बल्कि माननीय सदस्य द्वारा सुविचारित निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी भी तरह का संशोधन वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253]** में अवधारित विधि अनुसार किसी भी विवेचित आदेश को पुनः संशोधन किये जाने के अधिकार अधिनियम की धारा 33 में प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना—पत्र विधि समर्थित नहीं होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

6. परिणामस्वरूप, प्रार्थी विभाग का परिशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किया जाता है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य